

# FORM No. III

APP-A  
crim-I

## फर्द अहकाम

2023/88

(नियम 26)

अज्ञ अदालत - राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर मुकाम - सवाई माधोपुर

विजय वनाम विजय होल्ट वगैरे मुकदमा नं. 37/2023  
किरम मुकदमा RTA 283

तारीख हुयम	हुयम या कार्यावाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुयम की तारीख में जारी हुए
19/6/23	<p>मह द्वितीय अपील अधिकारी अरविन्द कुमार द्वारा राजस्व अधि-२२३ धारा के तहत पेशा की गई है। बाढ़ जांच रिपोर्ट पेशा हो। अपील बाढ़ जांच रिपोर्ट पेशा हुई। रिपोर्ट लगेला का सबलोक किया गया। रिपोर्ट का सबलोक करके पा पया कि अपील मिथाद बाहर पेशा है परन्तु धारा 5 मिथाद अधि का जांच भी लगेला नहीं है। धारा 36 ती-पी-ती का जांच लगेला है। अहमद रिपोर्ट के अनुसार अपील श्रवणाधिकार के बाहर है। अहमद की रिपोर्ट के पश्चात भी अफि द्वारा अहमद के आधार पर बहत की गई। बहत में कपन किया कि बहत में अपील की उभम अपील अदालत मातहत धारा 5 में स्वरिण डिये जाने के कारण श्रवणाधिकार तीमान न्यायलय को ही कपोमि धारा 223 कस्तगी अधि में लहायड कपेम्स/उपावण्ड अधिकारी न्यायालय का श्रवणाधिकार राजस्व अपील अधिकारी को ही है। इस लम्बस में उनके द्वारा न्यायिक इष्टान्त अरुण कुमार vs अरविन्द कुमार रिट पीटिसन 8522/2015 पेशा की। अपील फर्द रजि हो।</p> <p>बहत पर मन्न किया गया। प्रस्तुत इष्टान्त का भी लहायण सबलोक किया गया। धर का अधिनेयम धारा 223</p>	



राजस्व अपील प्राधिकारी  
सवाई माधोपुर



तारीख हुयम	हुयम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नगर व तारीख अवकाश जो इस हुयम की तारीख में जारी हुए
	<p>एवं इसमें लिखित रिश्तूल पार्ट उ का भी                      सबलोक ले पाया गया।                      उक्त थानों एवं रिश्तूल                      के सबलोक ले पाया गया कि यह द्वितीय                      अपील न्यायालय उपलब्ध अधिकारी द्वारा                      पारित आदेश दिनांक २१/०२/२३ अपील                      विरुद्ध गमान्तकरण संख्या 132 दिनांक                      ०५/०२/२००७ ग्राम जलोहरा तह: गंगोपुर                      सिटी के विरुद्ध फेरा की गई है।</p> <p>इस उकाट करत                      अधिनियम २२३ में राजस्व अपील अधिकारी                      को उपधारा २ जो इस उकाट है                      sec 223 RTA Appeals from Original                      orders - An appeal shall                      lie from an original order decess -                      (i) -                      (ii) to the [Revenue Settlement Authority]                      of such decess: passed by an                      Assistant Collector, a Subdivisional officer                      &amp; a Collector.</p> <p>इस उकाट उपधारा ले यह स्पष्ट है कि                      राजस्व अपील अधिकारी केवल उन्ही                      मूल डिक्जियों की अपील ही सुनवाई                      करेगा जो मयालय मातहत डारा जारी                      की गई है।</p> <p>परन्तु उक्त उकाट में यह अपील                      मूल डिक्जि की ग होकर द्वितीय अपील                      है। इसी उकाट रिश्तूल उ में यह उल्लेख                      अवधाय में अंकित है। अधिक अपीलद्वारा                      उक्त इष्यन्त चस्मा नहीं होता है।                      राज कस्तकारी अधिनियम २२२ के                      अवधाय इस उकाट है :-</p>	

५२  
 राजस्व अपील प्राधिकारी  
 सवाई माधोपुर

# राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

उनवान..... विजय ..... वनाग..... लोक होला वगैरे

तारीख हुग	हुग या कार्यवाही भय इनिशियल्स जज	नम्बर य तारीख अहकाम जो इरा हुग की तापील में जारी हुए
	<p>Sec. 222 — Appeal not to lie unless allowed by this Act — no appeal shall lie from any decree or order passed by any revenue court except provide in this act.</p> <p>इस उकाट बाण कारतकारी अधिनियम २२२ के तहत यह अपील इस न्यायालय में श्रवणाधिकार बाधित होने के कारण अपील को श्रवणाधिकार के बाद होने के कारण त्वारिण की जाती है। पताबली फैसल शुमार होकर इली फाट पर दफतर दाखिल हो। निर्णय रनुले सेरे रणमास सुनाया गया। ६२</p> <p style="text-align: center;"><b>राजस्व अपील प्राधिकारी</b> <b>सवाई माधोपुर</b></p>	

